29/04/22 पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यो मे व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 11/07/22 को पेश हो।

11/07/22 पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यो मे व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 26/07/22 को पेश हो।

26/7/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिया वकील उप०। तहसीलदार मेड़ता से तरमीम दुरुस्त हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। उक्त मनतात पर बहस सुनी गयी। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है

अतः प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 136 गलत, मनगढ़ंत तथा मारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारीज फरमाया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:21 IST
Reason: SelfAttested

यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी)

राजस्व आवेदन सं. 260/2021

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. आईदानराम पुत्र स्व. श्री मुकनाराम 2. पुरखाराम पुत्र स्व. श्री मुकनाराम 3. विरधाराम पुत्र स्व. श्री मुकनाराम जातियान विश्नोई निवासी शोभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित : प्रार्थीगण वकील – **श्री बाबुलाल**

–: निर्णय :–

दिनांक 26.07.2022

प्रार्थीगण आईदानराम पुत्र स्व. श्री मुकनाराम वगैरा जाति विश्नोई निवासी शोभाला दर्शान तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पीढ़ियो की खातेदारी कब्जा काश्त का खेत मौजा शोभाला दर्शान के खेत खसरा संख्या 348 आयी हुई है। जिसमें खेत की पैमाईश प्रार्थीगण के दादा स्व. भैरा पुत्र समरता ने तथा प्रार्थी संख्या 1 आईदानराम ने साथ रहकर पैमाईस करवायी सर्वप्रथम मौके के कब्जे अनुसार अमीन ने नक्शा सही तैयार किया तथा मौके पर जागीरकाल से लेकर आज दिन तक सेटलमेन्ट में दर्ज नक्शें अनुसार खेत की सीमाएं सही बनी हुई है तथा उस अनुसार कब्जा काश्त आज भी प्रार्थीगण का है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 348 के पड़ौसी निम्नानुसार है– उत्तर में खसरा संख्या 335, 334 की भूमि, दक्षिण में खसरा संख्या 357, 353 की भूमि, पूर्व में खसरा संख्या 351, 352 की भूमि, पश्चिम में खसरा संख्या 344, 345, 346, 347 की भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खसरा संख्या 348 का रकबा सेटलमेंट नक्शे की सीमाओं एवं मौके के कब्जे अनुसार 289.02 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

है सेटलमेंट के दौरान सर्वप्रथम मौके का नक्शा तैयार किया गया तथा इसके पश्चात नक्शे की कंगी व प्रकार से रकबा निकालकर उसके खसरे का रकबा तैयार किया जाता है तथा उस खसरे को खतौनी में दर्ज किया जाता है परन्तु उपरोक्त खसरा संख्या 348 का सेटलमेंट के दौरान रकबा निकालते समय गलती से रकबा कम दर्ज कर दिया तथा वास्तविक रकबा 289.02 के स्थान पर 171.02 बीघा ही दर्ज किया गया है। जो त्रुटि रकबा बराबरी निकालते समय हुई है जो दुरस्त किये जाने के योग्य है। उक्त भूमि खसरा संख्या 348 का रकबा सेटलमेंट के दौरान बंदोबस्त में गलती से कम दर्ज हो गया तथा इसके बाद राजस्व विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली खतौनियों में भी उपरोक्त त्रुटि दोहरायी जाती रही है, तथा वर्तमान चालू खतौनी में भी रकबा त्रुटिपूर्ण दर्ज है, प्रार्थीगण के पूर्वज स्व. भैराराम व प्रार्थीगण गांव के अनपढ़ काश्तकार होने से राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टियों की जानकारी नहीं हुई है। गत वर्ष प्रार्थीगण के खेत के पड़ौसी खसरा संख्या 351 के खातेदार के द्वारा पैदा किये गये अनावश्यक सीमा विवाद के मामले में हल्का पटवारी शोभालादर्शान व भू अभिलेख निरीक्षक सोनड़ी आदि दिनांक 08.01.2016 को पैमाईश के लिये मौके पर आये, तब प्रार्थीगण को खेत की खतौनी में रकबा कम दर्ज होने तथा खतौनी का रकबा सेटलमेंट नक्शें के अनुसार नहीं होने की बात बतायी, तब प्रार्थीगण को सेटलमेंट के दौरान खतौनी में प्रार्थीगण के खेत का रकबा कम दर्ज करने की गलती की पहली बार जानकारी हुई। इसके बाद प्रार्थीगण ने नक्शा सेटलमेंट, खतौनी बंदोबस्त आदि की नकल प्राप्त की तथा सेटलमेंट नक्शें से प्रार्थीगण ने सेटलमेंट के जानकार सेवानिवृत्त भू निरीक्षक श्री घनश्याम सारस्वत से अपने खेत के सेटलमेंट नक्शे से प्रकार व कंगी से क्षेत्रफल निकलवाया तो उसका क्षेत्रफल श्री सारस्वत ने नक्शे में 289.02 का खेत होना अपनी रिपोर्ट में बताया, जो रिपोर्ट तथा सेटलमेंट नक्शा की श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के अभिलेख से प्राप्त नकल इस प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न प्रस्तुत है। तथा प्रार्थीगण के खेत की खतौनी बंदोबस्त संवत् 2013 से 2031 संलग्न [illegible] है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि [illegible] खसरा संख्या 348 ग्राम शोभालादर्शान का रकबा दुरस्त किया जाकर [illegible] 171.02 बीघा की जगह वास्तविक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

289.02 बीघा खतौनी बंदोबस्त में व उसके बाद की तैयार की गयी खतौनियों में वर्तमान चालू खतौनी मे दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस तलब किया गया। इस संबंध में तहसीलदार सेड़वा से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गोरखाधाम (मूल ग्राम शोभालादर्शान) पटवार मण्डल शोभाला दर्शान के खसरा संख्या 911/348, 912/348, 910/348, 377/348, 1471/348, 1480/348, 1550/348, 913/348, 1382/348 मूल खसरा संख्या 348 रकबा 171.02 बीघा में से सड़क, बंटवाड़ा, भूमि समर्पण, भूमि परिवर्तन होने से विभक्त होकर नये खसरे बने। मूल खसरा संख्या 348 रकबा 171.02 भूमि का नक्शा व मौके कब्जा काश्त वर्तमान खातेदारान का रकबा 284.16 भूमि पर है तथा जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा जारी मोमी ट्रेस कमांक 33 दिनांक 06.01.2016 में खसरा संख्या 348 का रकआ बरारी करने पर रकबा 284.16 बीघा भूमि होती है।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने उक्त अनवान पर बहस सुनने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः **प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 136 गलत, मनगढ़ंत तथा सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से एवं इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को खारीज फरमाया जाता है।**

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.27 14:30:21 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा